

## परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "फैमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी उपसमिति" की

### सम्पन्न हुई 19वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2021 का कार्यवृत्त।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "फैमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी उपसमिति" की 19वीं बैठक श्रीमती अपर्णा उपाध्याय, मिशन निदेशक, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम०, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 09 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे जूम के माध्यम से सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही:-

- (1) डा० लिली सिंह,  
महानिदेशक  
परिवार कल्याण महानिदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। — संयोजक
- (2) डा० अश्विनी कुमार,  
संयुक्त निदेशक(प०क०),  
परिवार कल्याण महानिदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। — सदस्य सचिव
- (3) डा० श्रुता सिंह,  
कन्सलटेट(स्त्री रोग विशेषज्ञ)  
वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय,  
गोलागांज, लखनऊ। — सदस्य
- (4) डा० ए०क० शर्मा,  
विष्ट परामर्शदाता,डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल,  
हजरतगाज, लखनऊ। — सदस्य
- (5) डा० रिकू श्रीवास्तव,  
महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन),  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। — विशेष आमंत्रित

- (6) श्री अरविन्द उपाध्याय,  
कन्सलटेंट(परिवार नियोजन),  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) श्रीमती मनीषा खोसला,  
प्रधान सहायक,  
परिवार कल्याण महानिदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अध्यक्ष, महोदया की अनुमति से डा० अश्विनी कुमार, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा बैठक में उपस्थित समर्त सदस्यों का स्वागत किया गया।
- तत्पश्चात बैठक प्रारम्भ करते हुये एजेंडा बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये:-
- एजेंडा मद संख्या:-01**
- (गत बैठक दिनांक 31 अक्टूबर 2020 की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)**
- सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत बैठक दिनांक 31 अक्टूबर 2020 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। मिशन निदेशक महोदया द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
- एजेंडा मद संख्या:-02**
- (प्रगति का विवरण)**
- डा० अश्विनी कुमार, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01 अगल 2013 से लागू परिवार नियोजन इण्डेमिनी योजना के अन्तर्गत गठित "परिवार नियोजन इण्डेमिनी उपसमिति" की अब तक कुल 18 बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं। योजना के प्रारम्भ से अब तक राज्य स्तर पर कुल प्राप्त कलेम फार्मॉ व उनके सापेक्ष निस्तारित दावा प्रपत्रों का विवरण निम्नवत हैः—
- (1) विगत बैठकों में समिति के समक्ष प्रस्तुत दावा प्रपत्रों की संख्या:-
  - (2) विगत बैठकों में प्रस्तुत दावों के सापेक्ष स्वीकृत दावों की संख्या:-

(3) विगत बैठकों में प्रस्तुत दावों के सापेक्ष अस्वीकृत दावों  
की संख्या:-

836

(4) परीक्षणोपरान्त आज की बैठक दिनांक  
09 अक्टूबर 2021 में निरतारणार्थ प्रस्तुत  
दावों की संख्या:-

364

**एजेण्डा सद संख्या:-03**  
( बैठक में प्रस्तुत किये गये विभिन्न जनपदों से प्राप्त दावा प्रपत्रों का विवरण)

क्रं सं 0	जनपद का नाम	प्रस्तुत दावों का विवरण		
		गमधारण	जटिलता	दावा प्राप्त
1	हरदोई	27	0	0
2	ओरेया	6	1	0
3	अयोध्या	1	0	0
4	बेरेली	7	0	0
5	फरुखाबाद	6	0	0
6	कानपुर देहात	2	0	0
7	फिरोजाबाद	2	0	0
8	रामपुर	3	0	0
9	मैनपुरी	13	0	0
10	बाराबंकी	33	0	0
11	गाजीपुर	6	0	0
12	देवरिया	42	0	0
13	इटावा	12	0	0
14	सन्तकबीर नगर	5	0	0
15	सीतापुर	22	0	0
16	मिर्जापुर	4	0	0
17	गोपन्डा	10	0	0
18	अमरोहा	36	0	0
				36

6/8

19	सुल्तानपुर	5	0	0	0
20	पीलीभीत	14	1	0	5
21	आजमगढ़	18	0	0	15
22	बुलन्दशहर	8	0	0	18
23	बिजनौर	12	1	0	6
24	आगरा	8	0	0	13
25	उन्नाव	8	0	0	7
26	झांसी	9	0	0	8
27	वाराणसी	11	0	0	9
28	एटा	7	0	0	11
29	गोरखपुर	3	0	0	7
30	बांदा	3	0	0	3
31	हाथरस	2	0	0	3
32	लखनऊ	3	0	0	2
33	हमीरपुर	0	0	0	3
34	महोबा	0	0	1	1
35	मथुरा	1	0	0	1
36	प्रतापगढ़	8	0	0	1
37	हापुड़	1	0	0	8
38	शाहजहाँपुर	1	0	0	1
	योग	359	3	2	364

एजेंडा मद संख्या:-04  
 ( आज की बैठक में समिति द्वारा स्वीकृत / अस्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का विवरण)

महानिदेशालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण के 359, जटिलता के 03 एवं मृत्यु के 02 कुल 364 दावा प्रपत्रों का समिति द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त 364 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 359 दावा प्रपत्र रखीकृत किये गये हैं, शेष 05 वलेम फार्म अस्वीकृत किये गये, स्वीकृत / अस्वीकृत वलेम फार्म का जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

१८

- हरदोई:-** जनपद हरदोई से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 16 एवं वर्ष 2020–21 के गर्भधारण के 11 कुल 27 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 27 वर्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।
- ओरेया:-** जनपद ओरेया से वर्ष 2016–17 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 01, जटिलता के 01 एवं वर्ष 2020–21 के गर्भधारण के 04 कुल 07 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 07 वर्लेम फार्म सापेक्ष 27 वर्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।
- अयोध्या:-** जनपद अयोध्या से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के कुल 01 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अंवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया, जिसका कारण निम्नवत हैः—
  - श्रीमती पूनम पत्नी श्री रघुनाथ निवासी ग्राम वं पोस्ट खण्डासा जनपद अयोध्या के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त लाभार्थी को गर्भधारण की जानकारी (दिनांक 05.07.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु वर्लेम दिनांक 04.01.2020 को किया गया (लगभग 05 माह बाद), जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद वर्लेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543 / पौच्य-9–14–9(293)/ 13, दिनांक 03 जूलाई 2014 में वर्णित प्रविधान में बिन्दु संख्या-07 के अनुसार नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण /जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा वर्लेम फार्म जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमत्य होगी।
- बरेली:-** जनपद बरेली से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 05 एवं वर्ष 2020–21 के गर्भधारण के 02 कुल 07 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 07 वर्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।
- फरुखाबाद:-** जनपद फरुखाबाद से वर्ष 2018–19 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020–21 के गर्भधारण के 05 कुल 06 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 06 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 06 वर्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।
- कानपुर देहात:-** जनपद कानपुर देहात से वर्ष 2016–17 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 01 कुल 02 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 02 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 02 वर्लेम फार्म स्वीकृत किये गये।

#### 7. फिरोजाबाद:-

जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 02 वलेम फार्म के सापेक्ष 02 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये।

#### 8. रामपुर:-

जनपद रामपुर से वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 03 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 वलेम फार्म के सापेक्ष 03 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये।

#### 9. मैनपुरी:-

जनपद मैनपुरी से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 10 कुल 13 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 13 वलेम फार्म के सापेक्ष 13 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये।

#### 10. बारांकी:-

जनपद बारांकी से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 13 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 19 कुल 33 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा 33 वलेम फार्मों के सापेक्ष 29 वलेम फार्म स्वीकृत किये गये, जिसका कारण निम्नवत है:-

- श्रीमती अनीता पत्नी श्री राजू निवासी धरसणडा सूरजपुर बीकाड़ेर राम स्नेही घाट जनपद बारांकी के दावा प्रपत्र में लाभार्थी को नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी दिनांक 11.05.2020 को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु वलेम दिनांक 31.08.2020 को किया गया (लगभग 110 दिन बाद) जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद वलेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543/पौच-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 में वर्णित प्राविधान में बिन्दु नसबन्दी-07 के अनुसार नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण / जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा वलेम फार्म जिला स्वारंय समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमत्य होगी।

■ श्रीमती रजनी पत्नी श्री देशराज निवासी तोराई गौव जनपद बारांकी के दावा प्रपत्र में लाभार्थी को नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी दिनांक 10.09.2018 को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु वलेम दिनांक 12.12.2019 को किया गया (लगभग 14 माह बाद), जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद वलेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543/पौच-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 में वर्णित प्राविधान में बिन्दु उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण / जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा वलेम फार्म जिला स्वारंय समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमत्य होगी।

11/1

### 11. गाजीपुर:-

जनपद गाजीपुर से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020–21 के गर्भधारण के 05 कुल 06 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 06 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 06 वर्लेम फार्म रखीकृत किये गये।

### 12. देवरिया:-

जनपद देवरिया से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 19 एवं वर्ष 2020–21 के गर्भधारण के 23 कुल 42 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 42 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 42 वर्लेम फार्म रखीकृत किये गये।

### 13. इटावा:-

जनपद इटावा से वर्ष 2020–21 के गर्भधारण के कुल 12 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 12 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 12 वर्लेम फार्म रखीकृत किये गये।

### 14. सन्तकबीर नगर:-

जनपद सन्तकबीर नगर से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020–21 के गर्भधारण के 02 कुल 05 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 05 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 05 वर्लेम फार्म रखीकृत किये गये।

### 15. सीतापुर:-

जनपद सीतापुर से वर्ष 2017–18 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2018–19 के गर्भधारण के 11 एवं वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के वर्लेम फार्म 09 कुल 22 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा 22 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 21 वर्लेम फार्म रखीकृत किये गये। शेष 01 वर्लेम फार्म अर्थीकृत किये गये, जिसका कारण निम्नवत है:-

- श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री गया प्रसाद निवासी ग्राम निबोरी लहरपुर जनपद सीतापुर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी को नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी दिनांक 11.05.2020 को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु वर्लेम दिनांक 31.08.2020 को किया गया (लगभग 110 दिन बाद), जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद वर्लेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543 / पॉच–9–14–9(293) / 13, दिनांक 03 जुलाई 2014 में वर्णित प्राविधान में बिन्दु संख्या–07 के अनुसार नसबन्दी उपरान्त मृत्यु / गर्भधारण / जटिलता का सामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा वर्लेम फार्म जिला रखाश्य समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमत्य होगी।

#### 16. मिज्जपुर:-

जनपद मिज्जपुर से वर्ष 2018–19 के गमधारण के 01, वर्ष 2019–20 के गमधारण के 01 एवं वर्ष 2020–21 के गमधारण के वलेम फार्म 02 कुल 04 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 04 वलेम फार्म के सापेक्ष 04 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

#### 17. गोणड़:-

जनपद गोणड़ से वर्ष 2016–17 के गमधारण के 01, वर्ष 2018–19 के गमधारण के 02, वर्ष 2019–20 के गमधारण के 04 एवं वर्ष 2020–21 के गमधारण के वलेम फार्म 03 कुल 10 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 10 वलेम फार्म के सापेक्ष 10 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

#### 18. अमरोहा:-

जनपद अमरोहा से वर्ष 2019–20 के गमधारण के 14 एवं वर्ष 2020–21 के गमधारण के 22 कुल 36 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 36 वलेम फार्म के सापेक्ष 36 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

#### 19. सुल्तानपुर:-

जनपद सुल्तानपुर से वर्ष 2017–18 के गमधारण के 01, वर्ष 2019–20 के गमधारण के 03 एवं वर्ष 2020–21 के गमधारण के 01 कुल 05 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 05 वलेम फार्म के सापेक्ष 05 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

#### 20. पीलीभीत:-

जनपद पीलीभीत से वर्ष 2019–20 के गमधारण के 09, जटिलता के 01 एवं वर्ष 2020–21 के गमधारण के 05 कुल 15 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 15 वलेम फार्म के सापेक्ष 15 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

#### 21. आजमगढ़:-

जनपद आजमगढ़ से वर्ष 2017–18 के गमधारण के 09 एवं वर्ष 2018–19 के गमधारण के 09 कुल 18 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 18 वलेम फार्म के सापेक्ष 18 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

**22. बुलन्दशहर:-**

जनपद बुलन्दशहर से वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 08 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा हेतु प्रस्तुत किये गये।

**23. बिजनौर:-**

जनपद बिजनौर से वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 03, जटिलता के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 05 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 कुल 13 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 13 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 13 वर्लेम फार्म रखीकृत किये गये।

**24. आगरा:-**

जनपद आगरा से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05 कुल 08 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 08 वर्लेम फार्म रखीकृत किये गये।

**25. उन्नाव:-**

जनपद उन्नाव से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 06 कुल 08 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 08 वर्लेम फार्म रखीकृत किये गये। शेष 01 वर्लेम फार्म अरक्वीकृत किये गये, जिसका कारण निम्नवत है:-

**26. झौसी:-**

जनपद झौसी से वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 06 कुल 09 वर्लेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा 09 वर्लेम फार्म के सापेक्ष 08 वर्लेम फार्म रखीकृत किये गये।

■ श्रीमती हेमलता पत्नी श्री दिनेश सेन निवासी ग्राम अतवेई पोर्स्ट सिमथरी तहसील मोठ जनपद झौसी के दावा प्रपत्र में लाभार्थी को नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की जानकारी दिनांक 22.07.2019 को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु वर्लेम दिनांक 05.03.2020 को किया गया (लगभग 07 माह बाद), जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद वर्लेम किया गया है जबकि शासनादेश संख्या:543 / पौच्छ-9-14-9(293) / 13, दिनांक 03 जुलाई 2014 में वर्णित प्राविधान में बिन्दु संख्या-07 के अनुसार नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा वर्लेम फार्म जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमत्य होगी।

27. वाराणसी:-

जनपद वाराणसी से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2020–21 के गर्भधारण के 08 कुल 11 कलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 11 कलेम फार्म के सापेक्ष 11 कलेम फार्म रखीकृत किये गये।

28. उटारः—

जनपद एटा से वर्ष 2018–19 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 06 कुल 07 कलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 07 कलेम फार्म के सापेक्ष 07 कलेम फार्म रखीकृत किये गये।

29. गोरखपुरः—

जनपद गोरखपुर से वर्ष 2018–19 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 01 कुल 03 कलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 कलेम फार्म के सापेक्ष 03 कलेम फार्म रखीकृत किये गये।

30. बांदा:-

जनपद बांदा से वर्ष 2018–19 के गर्भधारण के कुल 03 कलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 कलेम फार्म के सापेक्ष 03 कलेम फार्म रखीकृत किये गये।

31. हाथरसः—

जनपद हाथरस से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के कुल 02 कलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 02 कलेम फार्म के सापेक्ष 02 कलेम फार्म रखीकृत किये गये।

32. लखनऊः—

जनपद लखनऊ से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020–21 के 02 कुल 03 कलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 03 कलेम फार्म के सापेक्ष 03 कलेम फार्म रखीकृत किये गये।

33. हमीरपुरः—

जनपद हमीरपुर से वर्ष 2019–20 के मृत्यु के कुल 01 कलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 कलेम फार्म के सापेक्ष 01 कलेम फार्म रखीकृत किये गये।

34. महोबा:-

जनपद महोबा से वर्ष 2019–20 के मृत्यु के कुल 01 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 वलेम फार्म के सापेक्ष 01 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

35. मथुरा:-

जनपद मथुरा से वर्ष 2018–19 के गर्भधारण के कुल 01 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 वलेम फार्म के सापेक्ष 01 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

36. प्रतापगढ़:-

जनपद प्रतापगढ़ से वर्ष 2016–17 के गर्भधारण के कुल 03 वर्ष 2017–18 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2018–19 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2018–19 के गर्भधारण के 02 कुल 08 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 वलेम फार्म के सापेक्ष 08 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

37. हापुड़:-

जनपद हापुड़ से वर्ष 2019–20 के गर्भधारण के कुल 01 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 वलेम फार्म के सापेक्ष 08 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

38. शाहजहांपुर:-


जनपद शाहजहांपुर से वर्ष 2017–18 के गर्भधारण के कुल 01 वलेम फार्म प्राप्त हुये, जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 08 वलेम फार्म के सापेक्ष 08 वलेम फार्म रखीकृत किये गये।

एजेंडा मद संख्या:-05

(गत बैठक दिनांक 31.10.2020 में रखीकृत किये गये दावा प्रपत्रों में से 27 (23 गर्भधारण व 04 मृत्यु) दावों का भुगतान धनराशि रु० 29,80,000/- जनपदों को किये जाने पर निर्णय।

गत बैठक दिनांक 31.10.2020 में रखीकृत किये गये दावा प्रपत्रों में से 27 (23 गर्भधारण व 04 मृत्यु) दावों का भुगतान धनराशि रु० 29,80,000/- जनपदों को किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्बन्धित जनपदों को लिखित कुल धनराशि रु० 29,80,000/- में से एन०एच०एम०स्टर से सम्बन्धित जनपदों को धनराशि रु० 14,90,000 को अमुक्त कर दी जायेगी। शेष धनराशि का भुगतान भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

11



21	विजनैर	0	0	3	1	5	0	0	8	1	0	0	90000	2500	150000	0	0	0	240000	25000	
22	आगरा	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0	0	0	0	90000	0	60000	0	150000	0	
23	चन्नाब	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	30000	0	60000	0	90000	0	
24	झाँसी	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0	0	0	0	60000	0	90000	0	150000	0	
25	बारपाणी	0	0	0	0	2	0	4	0	6	0	0	0	0	60000	0	90000	0	150000	0	
26	एटा	0	0	1	0	5	0	0	0	6	0	0	0	0	30000	0	60000	0	120000	0	
27	गोरखपुर	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	150000	0	0	0	180000	0	
28	बादा	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	30000	0	0	0	90000	0	
29	हाथरस	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	90000	0	0	0	90000	0	
30	लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	60000	0	
31	हमीरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	
32	महोबा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	मथुरा	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	प्रतापगढ़	3	3	2	0	0	0	0	8	0	90000	90000	60000	0	0	0	0	0	30000	0	
35	हपुड़	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	
36	शाहजहांपुर	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	30000	0	
	योग	6	16	36	1	107	2	69	0	234	3	180000	480000	1080000	256000	3210000	36971	2070000	0	7020000	61971

**बिन्दु संख्या:2** मा० सर्वोच्च न्यायालय हारा पारित आदेश के अनुपालन में परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2019 से नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण / जटिलता / मृत्यु सम्बन्धित प्रकरणों में पूर्व में प्रदान की जा रही धनराशि को दुगुनी किये गये व्यवस्थानुसार:-

क्रं० सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत दावा प्रपत्र		कुल स्वीकृत दावा प्रपत्र का विवरण		कलेम धनराशि		स्वीकृत धनराशि	
		गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु	गर्भधारण	मृत्यु
1	हरदोई	9	0	9	0	60000	400000	540000	0
2	औरेया	3	0	3	0	60000	400000	180000	0
3	बेरली	3	0	3	0	60000	400000	180000	0
4	फरुखाबाद	2	0	2	0	60000	400000	120000	0
5	फिरोजाबाद	1	0	1	0	60000	400000	60000	0

6	રામપુર	2	0	2	60000	400000	1200000	0
7	મેનપુરી	7	0	7	60000	400000	4200000	0
8	બારાંકબી	8	0	8	60000	400000	4800000	0
9	ગાજીપુર	6	0	6	60000	400000	3600000	0
10	દેવરિયા	11	0	11	60000	400000	6600000	0
11	ઇટાવા	6	0	6	60000	400000	3600000	0
12	મિર્જાપુર	1	0	1	60000	400000	600000	0
13	ગોળડા	4	0	4	60000	400000	60000	0
14	અમરોહા	21	0	21	60000	400000	2400000	0
15	ચુલ્લાનપુર	1	0	1	60000	400000	12600000	0
16	પીલીભીત	5	0	5	60000	400000	60000	0
17	બુલન્દશાહર	8	0	8	60000	400000	3000000	0
18	વિજનોર	4	0	4	60000	400000	480000	0
19	ઉન્નાવ	5	0	5	60000	400000	240000	0
20	જ્ઞાંસી	3	0	3	60000	400000	300000	0
21	વારાણસી	5	0	5	60000	400000	180000	0
22	ધર્ટા	1	0	1	60000	400000	300000	0
23	લાખનાથ	1	0	1	60000	400000	60000	0
24	હમીરપુર	0	1	1	60000	400000	60000	0
25	મહોબા	0	1	1	60000	400000	0	4000000
26	આગારા	3	0	3	60000	400000	0	4000000
	યોગ	120	2	122	60000	400000	180000	0
							7200000	4000000

विनाय कंडाजा-१

(दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रदान की जा रही धनराशि) के अनुसार गम्भधारण के 234 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 70,20,000/- (रु० सत्तर लाख बीस हजार मात्र) व जटिलता के 03 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 61,971/- (रु० इक्षस्ट हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) कुल 237 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 70,81,971/- (रु० सत्तर लाख इक्यासी हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) का भुगतान उपरोक्त जनपदों को करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से (दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रदान की जा रही धनराशि) के अनुसार गर्भधारण के 120 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 72,00000/- (रु० बहुत्तर लाख मात्र) व मृत्यु के 02 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 8,00000/- (रु० आठ लाख मात्र) कुल 122 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 80,00000/- (रु० अरसी लाख मात्र) का भुगतान उपरोक्त जनपदों को करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

इस तरह 359 दावा प्रपत्रों की कुल धनराशि रु० 1,50,81,971/- (रु० १५०,८१,९७१/-) उपरोक्त जनपदों को अवमुक्त करने की संस्थानी प्रदान की जाती है।  
उपरोक्त जनपदों को अवमुक्त करने की कुल धनराशि रु० 1,50,81,971/- (रु० १५०,८१,९७१/-) एक करोड़ पचास लाख इकायारी हजार नौ सौ इकाहतार मात्र)

(जा० शुभा चिंह)  
इमैनल्ड स्ट्रीट रोड विशेषज्ञ,  
अव० महि० चिकित्सालय, लखनऊ  
सदस्य

(१०/१६)

( डा० ए०क० शमी)

सर्जन,

श्याप्रसामुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ  
सदस्य

(१०/१७)

( डा० ए०क० शमी)

सर्जन,

श्याप्रसामुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ  
सदस्य

(जा० लिली० सिंह)  
महानिदेशक,  
० संयोजक

(डा० अश्विनी कुमार)  
संयुक्त निदेशक(प०क०),  
प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ  
सदस्य सचिव